

States/UTs	Wheat	Rice	Sugar
Punjab	66.69	12.48	114.90
Rajasthan	863.69	65.51	249.52
Sikkim	7.62	93.03	2.41
Tamilnadu	320.00	1261.40	315.54
Tripura	20.80	191.95	16.02
Uttar Pradesh	1265.73	569.69	786.49
West Bengal	1259.30	535.85	385.99
A & N Islands	1.50	7.70	3.81
Chandigarh	20.05	3.33	5.25
D&N Haveli	2.40	5.85	0.73
Daman & Diu	1.85	5.45	0.45
Delhi	692.67	172.97	159.36
Lakshdweep	0.50	7.70	1.00
Pondicherry	6.30	23.20	5.87
TOTAL	10371.80	13109.87	4900.55

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश से गेहूँ का निर्यात किया जाना

4163. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य व्यापार निगम के सहयोग से वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश से गेहूँ का कोई निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त दो वर्षों के दौरान राज्य से गेहूँ की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य से गेहूँ की कितनी मात्रा का निर्यात किये जाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1997-98 के दौरान गेहूँ निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

4164. चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

श्री नागमणि:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आय की तारीख में देश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या गोदामों की यह संख्या राज्यों की मांग के अनुरूप पर्याप्त है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में ये गोदाम जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं जिससे बहुमूल्य खाद्यान्न का भंडारण अत्यन्त कठिन हो गया है; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) 1.6.98 के स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गोदामों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है। (नीचे देखिये)

(ख) जी, हाँ, इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम को अपनी आवश्यकता पर निर्भर करते हुए सरकारी एजेंसियों और प्राइवेट पार्टियों से अतिरिक्त गोदाम किराये पर लेने की आवश्यक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

(ग) जो, नहीं।

(घ) वर्ष भर भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है और डिपुओं का

रेंग निवारण रख-रखाव किया जाता है। इसके अलावा वार्षिक रख-रखाव संबंधी कार्य और विशेष मरम्मत संबंधी कार्य भी किए जाते हैं।

1.6.1998 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के राज्य-वार गोदामों की संख्या बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की संख्या (अपने, किराये के/ढके हुए व कैप)
1.	अरुणाचल प्रदेश	03
2.	आन्ध्र प्रदेश	168
3.	असम	42
4.	बिहार	55
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	41
7.	हरियाणा	112
8.	हिमाचल प्रदेश	17
9.	जम्मू और कश्मीर	15
10.	कर्नाटक	49
11.	केरल	24
12.	मध्य प्रदेश	155
13.	महाराष्ट्र	36
14.	मणिपुर	03
15.	मेघालय	05
16.	मिजोरम	06
17.	नागालैंड	06
18.	उड़ीसा	53
19.	पंजाब	463
20.	राजस्थान	99
21.	सिक्किम	04
22.	तमिलनाडु	32
23.	त्रिपुरा	07
24.	उत्तर प्रदेश	234
25.	पश्चिम बंगाल	54
26.	चंडीगढ़	12
27.	दिल्ली	10
28.	पांडिचेरी	03
जोड़:		1709